



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

दि०- 21.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ कल्पू पुत्र वृजनन्दन निवासी जिजौटा बुजुर्ग थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 170/2022 वाद स०- 1558/2022 धारा- 376,452,506 भा०द०वि० थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.10.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 10 वर्ष का कारावास व 62 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



एडीजीसी - श्री पंकज कटियार



कोर्ट मोहरीर हे०का० सुनील कुमार



पैरोकार हे०का० आदित्य



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दि०- 21.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त वृजकिशोर उर्फ पडकुआ पुत्र वृजलाल खटीक निवासी पिलखना थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 67/1998 वाद स०- 132/1998 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.10.2024 को मा० न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार



कोर्ट मोहरीर हे०का० राजेश कुमार



पैरोकार हे०का० विक्रम सिंह